भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1123
बुधवार, 29 जुलाई, 2026 (7 श्रावण 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के लिए निधीयन

1123 श्रीमती राजाथी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनन्य रूप से महिला संचालित सहकारी समितियों के लिए कोई विशेष योजना बनाई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा महिला सहकारी समितियों को संवितरित की जाने वाली धनराशि की पात्रता और प्रक्रिया क्या है;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान, एनसीडीसी द्वारा महिला सहकारी समितियों को संवितरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और उसके पड़ोसी राज्यों, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल शामिल हैं, में महिला सहकारी समितियों को कितनी धनराशि संवितरित की गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला एक सांविधिक संगठन है, जो सहकारिता के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास के अधिदेश के साथ स्वयं को संरेखित करते है, महिलाओं नेतृत्व वाली और एसएचजी से जुड़ी सहकारी समितियों को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है, अर्थात :

i. **स्वयं शक्ति सहकार योजना:** इस योजना का उद्देश्य आय सृजन कार्यकलापों, उद्यमिता विकास और महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और सशक्त करना है । सहकारी समितियां बदले में महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएचजी को आगे सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण दे सकती हैं।

ii. **नंदिनी सहकार योजना:** इस योजना का उद्देश्य डेयरी, पशुधन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यकलापों से जुड़ी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में लगी महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के लिए विशेष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे सहकारी उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है।

iii. **युवा सहकार योजना:** इस योजना का उद्देश्य युवा महिला उद्यमियों को एनसीडीसी के माध्यम से वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करके उभरते और अभिनव क्षेत्रों में सहकारी उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, एनसीडीसी परियोजना लागत का केवल 20 प्रतिशत योगदान करने के लिए अपेक्षित महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समिति को आसान वित्तपोषण के अलावा सावधि ऋण पर ब्याज दर पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करता है।

(ख) एनसीडीसी महिला सहकारी समितियों को 1-2 साल के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, 5 साल के लिए मार्जिन मनी और 8 साल के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है । वित्तीय सहायता या तो राज्य सरकार के माध्यम से या प्रत्यक्ष प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्तपोषण के मामले में, एनसीडीसी निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अधीन महिला सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करता है:

i. सहकारी समिति को कम से कम 3 साल से प्रचालन में होना चाहिए

ii. सहकारी समिति की सकारात्मक निवल संपत्ति होनी चाहिए, जो कम से कम 100% से कम चुकता शेयर पूंजी नहीं होनी चाहिए अर्थात चुकता शेयर पूंजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए;

इसके अलावा, कम से कम तीन महीने से काम कर रही **महिला सहकारी समितियों** को भी एनसीडीसी की "युवा सहकार" योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है ।

(ग और घ) पिछले पांच वर्षों में एनसीडीसी द्वारा विभिन्न राज्यों में महिला सहकारी समितियों को वितरित की गई निधि, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल भी शामिल हैं, का राज्यवार ब्योरा **संलग्नक-क** में दिया गया है।

****

संलग्नक-क

पिछले 5 वर्षों के दौरान एनसीडीसी द्वारा महिला सहकारी समितियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	795.00	1,385.15	700.00	1,100.00	4,200.00
2	अरुणाचल प्रदेश	23.26	0.09	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
4	बिहार	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00
5	गुजरात	0.00	0.50	0.26	0.00	0.25
6	हरियाणा	0.64	0.86	0.00	0.00	0.00
7	झारखंड	0.18	0.01	0.00	0.03	0.01
8	कर्नाटक	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
9	केरल	0.00	0.03	0.00	0.00	0.02
10	मध्य प्रदेश	0.10	0.08	0.19	0.32	0.58
11	महाराष्ट्र	5.00	0.00	10.00	10.00	35.00
12	मिजोरम	0.00	0.00	0.23	0.52	0.12
13	उड़ीसा	0.15	0.00	0.00	0.20	0.15
14	राजस्थान	0.00	0.00	0.44	0.00	190.16
15	तमिलनाडु	0.13	0.06	0.58	0.00	0.00
16	तेलंगाना	495.06	50.00	0.05	245.06	500.00
17	उत्तर प्रदेश	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**1,319.53**	**1,436.99**	**711.78**	**1,356.13**	**4,926.49**